जयपुर • कोटा • बीकानेर • उदयपुर • अजमेर • जालोर • हिण्डौनसिटी • चूरू

राष्ट्रदूत

epaper.rashtradoot.com

अजमेर

Rashtradoot

फोनः- 2627612, 2427249 फैक्सः- 0145-2624665 वर्षः 29 संख्याः 113 प्रभात अजमेर, शुक्रवार 22 नवम्बर, 2024 आर.जे./ए.जे./73/2015-2017 पृष्ठ 6 मूल्य 2.50 रु.

'गौतम अडानी, उनके भतीजे सागर अडानी ने राज्य सरकार के अधिकारियों को 2 हजार करोड़ की रिश्वत दी'

राहुल गाँधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में अडानी ग्रुप के अध्यक्ष गौतम अडानी पर अमेरिकी कोर्ट द्वारा प्रस्तुत आरोप पत्र के आधार पर यह गंभीर आरोप लगाया

-डॉ. सतीश मिश्रा-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-

नई दिल्ली, 21 नवम्बर। "आक्रमण ही सर्वश्रेष्ठ बचाव है," जांची परखी इस नीति पर चलते हुए भाजपा ने अपनी सभी बंदुकें लोकसभा में विपक्ष के नेता पर तान दी हैं, क्योंकि उन्होंने अमेरिकन प्रशासन द्वारा उद्योगपति गौतम अडानी पर रिश्वत का आरोप लगाने पर नरेन्द्र मोदी से सवाल पूछा है।

आज दिन में राहुल गांधी ने गौतम अडानी को गिरफ्तार करने की मांग की क्योंकि अमेरिकन प्रशासन ने अडानी पर रिश्वत केस में लिप्त होने का आरोप लगाया है।

प्रैस कॉन्फ्रैंस को सम्बोधित करते हुए गांधी ने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी पर अडानी का बचाव करने का आरोप लगाया और पूछा कि इतने सारे आरोप होने के बाद भी भारत सरकार ने उन्हें गिरफ्तार क्यों नहीं किया है।

- राहुल गाँधी ने इस संदर्भ में यह भी कहा, कि झारखण्ड व दिल्ली के मुख्यमंत्री तो मिनटों में गिरफ्तार कर लिये गये थे, आरोपों के आधार पर। पर अडानी के खिलाफ अमेरिकी न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल होने के बाद भी कोई कार्यवाही नहीं हुई है, और न ही होगी।
- प्रत्युत्तर में भाजपा प्रवक्ता संबित पात्रा ने कहा कि अगर अडानी इतने भ्रष्ट हैं, तो कांग्रेस की व कांग्रेस के गठबंधन की सरकारें, लाइन लगाकर उनसे अपने-अपने राज्य में पूंजी निवेश की अर्जी क्यों देती हैं।
- भाजपा प्रवक्ता के अनुसार छत्तीसगढ़ व राजस्थान में अडानी ने क्रमशः 25 हजार करोड़ व 65 हजार करोड़ निवेश किये थे, जब भूपेश बघेल व अशोक गहलोत मुख्यमंत्री थे।
- भाजपा प्रवक्ता के अनुसार, राहुल गाँधी के पास कुछ नाम हैं, जो वो हर बार प्रेस कॉन्फ्रैंस में उछालते हैं, प्रधानमंत्री मोदी को बदनाम करने के लिए। अगर, राहुल गाँधी के पास कुछ ठोस सबूत व जानकारी है तो वे न्यायालय में मुकदमा क्यों नहीं करते मोदी सरकार के खिलाफ।
- अमेरिकी अदालत में प्रस्तुत आरोप पत्र के अनुसार, अडानी ग्रुप ने राज्य सरकार के अफसरों को भारी रिश्वत दी है, सोलर पावर प्लान्ट्स से बिजली खरीदने के लिए।

गांधी ने अडानी की गिरफ्तारी की मांग करते हुए कहा कि हम यह मुद्दा संसद में उठाएंगे और लोकसभा में विपक्ष का नेता होने के कारण मेरी यह जिम्मेवारी है कि मैं यह मुद्दा उठाऊं। प्रधानमंत्री शत प्रतिशत इस आदमी (अडाणी) को प्रोटैक्ट कर रहे है और यह आदमी भाजपा को समर्थन करता है। हम जे.पी.सी. की मांग करते हैं।

राहुल ने कहा, "अब यह अमेरिका में भी पूर्णतया स्पष्ट एवं स्थापित है कि

(शेष पृष्ठ 3 पर)

गोगामेडी हत्याकांड के आरोपियों का प्रार्थना पत्र कोर्ट ने खारिज किया

जयपुर, 21 नवंबर। एन.आई.ए. मामलों की विशेष अदालत ने सुखदेव सिंह गोगामेडी हत्याकांड मामले में अजमेर की हाई सिक्योरिटी जेल में बंद आरोपी नितिन फौजी, रामवीर और ऊधम सिंह के प्रार्थना पत्र को खारिज कर दिया है। आरोपियों ने जेल प्रशासन पर एस.टी.डी. फोन से परिजनों से बात नहीं कराने और उनसे मुलाकात नहीं कराने का आरोप लगाया गया था। पीठासीन अधिकारी मशरूर आलम

- आरोपियों ने परिजनों से एस.टी.डी. पर बात कराने के लिए प्रार्थना पत्र दिया था। जेल प्रशासन का कहना था, उन्हें किसी भी आरोपी ने फोन पर बात कराने का प्रार्थना पत्र नहीं दिया।

खान अपने आदेश में कहा कि आरोपी ऊधम सिंह की उसके परिजनों से बात कराई जा रही है। वहीं, नितिन व रामवीर के मामले में परिजनों से मुलाकात करने का कोई प्रार्थना पत्र जेल प्रशासन के समक्ष पेश नहीं किया गया है। इसके अलावा आरोपियों पर विधि विरुद्ध क्रियाकलाप निवारण अधिनियम के तहत आरोप होने के कारण, फोन सुविधा बंद की गई है। ऐसे में आरोपियों की ओर से पेश प्रार्थना पत्र को खारिज किया जाता है।

प्रार्थना पत्र में कहा गया कि प्रार्थियों

(शेष पृष्ठ 3 पर)

कीनिया सरकार ने अडानी ग्रुप के साथ कॉन्ट्रैक्ट कैन्सल किया

गौतम अडानी ग्रुप पर अमेरिका के कोर्ट में लगाये गये रिश्वतखोरी व जालसाजी के आरोप दाखिल होने के बाद कीनिया सरकार ने यह कदम उठाया है

- श्री नन्द झा-
- राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो -

नई दिल्ली, 21 नवम्बर। अमेरिका में गौतम अडानी समूह के खिलाफ लगाया गये रिश्वत देने व धोखाधड़ी के आरोपों से समूह को पहला नुकसान कीनिया में हुआ। इस अफ्रीकी देश के राष्ट्रपति विलियम रूटो ने अडानी ग्रुप को दिया गया 700 मिलियन डॉलर का अनुबन्ध रद्द कर दिया। यह अनुबन्ध ट्रांसमिशन पावर लाइन्स बनाने के लिए हुआ था। कीनिया के राष्ट्रपति ने केन्याटा इन्टरनैशनल एयर पोर्ट के विस्तार की योजना भी रद्द कर दी, जिसमें अडानी ने भी टैंडर भरा था।

अमेरिकन प्रॉसिक्यूटर्स द्वारा 26.50 करोड़ डॉलर के सुनियोजित रिश्वत कांड में अडानी ग्रुप के ऐग्जीक्यूटिव्स, जिनमें स्वंय गौतम अडानी भी शामिल हैं, पर अभियोग लगाये जाने के बाद, अडानी के अन्तर्राष्ट्रीय व्यवसाय, जो अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया तथा अमेरिका में फैले हुये हैं, अब बहुत सख्त संवीक्षा के तहत आ सकते हैं। अमेरिकन प्रॉसिक्यूटर्स ने आरोप लगाया है कि अडानी ग्रुप ने न्यूयॉर्क की एक पूर्व सूचीबद्ध कम्पनी के ऐग्जीक्यूटिव्स के साथ मिलकर साजिश की कि भारतीय अधिकारियों को रिश्वत दी जाये तथा फायदेमंद सोलर एनर्जी कॉन्ट्रैक्ट्स हासिल किये जायें।

- कीनिया ने 700 मिलियन डॉलर का कॉन्ट्रैक्ट साईन किया था, अडानी ग्रुप के साथ, कीनिया में ट्रांसमिशन पावर लाइन्स बिछाने के लिए। कीनिया के राष्ट्रपति विलियम रोटू ने यह कॉन्ट्रैक्ट रद्द करने की घोषणा की।
- कीनिया के राष्ट्रपति ने कीनिया के जोमो कैन्याटा अन्तर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का विस्तार करने के कॉन्ट्रैक्ट, जो अडानी ग्रुप को सौंपा गया था, को भी रद्द करने की घोषणा की।
- अडानी ग्रुप की कम्पनियों, जैसे अडानी एन्टरप्राइजेंज, अडानी एनर्जी सोल्यूशन्स, अडानी पोर्ट्स, अडानी ग्रीन एनर्जी के शेयरों में आरोप पत्र दाखिल होने की खबर के बाद, काफी गिरावट आई है।

अडानी ग्रुप ने अमेरिकन डिपार्टमेन्ट ऑफ जस्टिस तथा सिक्यूरिटीज़ एंड एक्सचेंज कमीशन द्वारा लगाये गये आरोपों को "निराधार" बताया है तथा कहा है कि "सभी सम्भव कानूनी रास्ते तलाशे जायेंगे"।

जाहिर है, अमेरिकन अभियोग में इतनी ताकत है कि वह अडानी ग्रुप के वैश्विक व्यवसाय के साथ ही, भारत में भी उसके व्यवसाय को संकट में डाल सकता है। गुरूवार को, सभी अडानी स्टॉक्स, जिनमें अडानी एन्टरप्राइजेज, अडानी एनर्जी सॉल्यूशंस, अडानी पोर्ट्स तथा अडानी ग्रीन एनर्जी शामिल हैं, में भारी गिरावट आई है तथा इन्हें 23 प्रतिशत तक नुकसान हुआ है।

ब्रुकलीन कोर्ट में फाइल किये गये अमेरिकन आरोपों में गौतम अडानी, सागर अडानी तथा विनीत एस. जैन पर 26.50 करोड़ डॉलर की रिश्वत देने के सुनियोजित कांड के आरोप लगाये गये हैं। प्रोसिक्यूटर्स ने आरोप लगाया कि इस ग्रुप ने सोलर एनर्जी प्रोजेक्टों के लिए करोड़ों डॉलर की फन्डिंग प्राप्त करते समय, महत्वपूर्ण जानकारियों को गुप्त रखते हुये, अमेरिकन निवेशकों और बैंकों को गुमराह किया। प्रॉसिक्यूटर्स का कहना है कि कपटपूर्ण तरीकों, जिनमें निवेशकों से झूठी बातें कहना तथा

(शेष पृष्ठ 3 पर)

अडानी न्यायालय में "निगोशिएटेड सैंटलमैंट" का रास्ता अपनायेंगे?

भारत के कानून में "सरकारी गवाह" बनने का कोई प्रावधान नहीं है, अमेरिका के कोर्ट में, अतः अडानी के समक्ष 'निगोशिएटेड सैंटलमैंट' (आपसी समझौता) का ही विकल्प बचा है

- जाल खंबात-
- राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो -

नई दिल्ली, 21 नवम्बर। उद्योगपति गौतम अडानी इस क्रिमिनल केस में भी " नेगोशिएटेड सैटलमेन्ट" (बातचीत एवं समझौता) का विकल्प अपना सकते हैं। यह विकल्प उन जैसे फ्रॉडस्टर्स के लिये बचने का रास्ता बना देता है। यह भारत की "अप्रूवर" व्यवस्था जैसा ही रास्ता है।

चूँकी अडानी इस क्रिमिनल केस में मुख्य आरोपी हैं, तो हो सकता है कि उन्हें सौदेबाजी करने की अनुमति नहीं मिले, जो अन्य आरोपियों को मिल सकती है।

अमेरिकन अभियोग कहता है कि पावर "भारतीय सरकार" को बेची जानी थी। इस के अलावा, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि रिश्वत किसने ली तथा किस राज्य में ली, लेकिन रिश्वत देने वाली अडानी की कम्पनी थी, जिसके खिलाफ आरोप लगाया गया है।

- अमेरिकी कानून के अर्न्तगत इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता, किस राज्य में किस अफसर ने कितनी रिश्वत ली। जुर्म तो रिश्वत देने वाले ने किया है। और, इस प्रकरण में रिश्वत देने वाला अडानी ग्रुप है, जिसके खिलाफ रिश्वत देने का आरोप है।
- एक यह भी दृष्टिकोण है कि, अडानी ग्रुप ने पूंजी निवेशकों को यह बात उजागर नहीं करके, कि उन्होंने रिश्वत दी है सोलर एनर्जी बेचने का अनुबंध करने के लिए, पूंजी निवेशकों के साथ धोखा किया है, और अमेरिकी पूंजी निवेशकों ने करोड़ों रुपये लगाये अडानी ग्रुप के धंधे में।
- हिन्दुस्तान में किसने रिश्वत प्राप्त की, यह मामला, भारत सरकार की जाँच का विषय है। अमेरिकी न्यायालय के दायरे से बाहर की बात है।

रिश्वत देने के मामले को गुप्त रखकर, अडानी ने वॉल स्ट्रीट के उन निवेशकों को धोखा दिया, जिन्होंने करोड़ों डॉलर्स का निवेश किया था। जहाँ तक रिश्वत लेने वालों का प्रश्न है, उनकी

(शेष पृष्ठ 3 पर)

कार्यरत शिक्षक को सरप्लस कर हटाने पर रोक

जयपुर, 21 नवंबर। राजस्थान सिविल सेवा अपीलीय अधिकरण ने महात्मा गांधी राजकीय अंग्रेजी माध्यम स्कूल में कार्यरत शिक्षक को सरप्लस कर हटाने के आदेश पर रोक लगा दी है। इसके साथ ही, अधिकरण ने शिक्षक को अन्य स्थान पर स्थानांतरण और पदस्थापन नहीं करने को कहा है। वहीं, मामले में शिक्षा सचिव और माध्यमिक शिक्षा निदेशक सहित अन्य को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है।

- राजस्थान सिविल सेवा अपीलीय अधिकरण ने शिक्षा सचिव व माध्यमिक शिक्षा निदेशक को नोटिस जारी किये।

अधिकरण ने ये आदेश इमरान की अपील पर सुनवाई करते हुए दिए।

अपील में अधिवक्ता रामप्रताप सैनी ने अधिकरण को बताया कि अपीलार्थी 18 जनवरी, 2022 को साक्षात्कार के जरिए नागौर की जूसरी स्थित राजकीय महात्मा गांधी अंग्रेजी माध्यम स्कूल में नियुक्त हुआ था। विभाग ने गत 14 नवंबर को सरप्लस शिक्षकों की सूची निकाली और उसमें

(शेष पृष्ठ 3 पर)

'अमेरिकन एजेन्सी का खुलासा, भारत की एक पी.एस.यू. अडानी स्कैम में शामिल'

कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने सोलर एनर्जी कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया पर अंगुली उठाई

-जाल खंबाता-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-

नई दिल्ली, 21 नवम्बर। कांग्रेस के महासचिव जयराम रमेश ने बताया, अडानी के इस भ्रष्टाचार स्कैण्डल में जिसकी प्रमुख भूमिका है उसका अमेरिकन एजेंसियों ने खुलासा कर दिया है यह है सोलर एनर्जी कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया (एस.ई.सी.आई.), जो कि भारत सरकार की सार्वजनिक क्षेत्र की कम्पनी है।

जयराम रमेश ने कहा कि एस.ई.सी.आई. ने प्राइवेट कम्पनियों से बिड्स मांगी थी और विजेता को चुनने के लिए रिवर्स ऑक्शन करवाई थी। इसके सुझाव पर विभिन्न राज्य भी खरीद समझौते में शामिल हुए।

अमेरिका के औपचारिक अभियोग पत्र में उल्लेख है कि आंध्र, ओडिशा, तमिलनाडु, छत्तीसगढ़, और जम्मू कश्मीर में रिश्वत दी गई। जम्मू कश्मीर

- जयराम रमेश ने कहा, जैसे सेबी ने अडाणी की मदद की थी वैसे ही सोलर एनर्जी कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया ने की है, यहां भी यही मुख्य प्रश्न है, क्या इस पी.एस.यू. की जाँच होगी।
- जयराम रमेश ने बताया कि सोलर एनर्जी उत्पादन के लिए सोलर एनर्जी कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया ने ही बिड्स मांगी थीं और विभिन्न राज्यों से महंगे दामों पर सोलर एनर्जी खरीदने के समझौते करवाए थे। इनमें ओडिशा, आंध्र, तमिलनाडू, छत्तीसगढ़ और जम्मू कश्मीर हैं।
- महाराष्ट्र व राजस्थान से भी ऊँचे दामों पर सोलर एनर्जी खरीदने के अनुबंध हुए हैं, उन पर भी सवालिया निशान लग गया है।

केन्द्र शासित प्रदेश बनने के बाद इसमें शामिल हुआ। यह नितांत अस्वीकार्य है और इसमें कड़ी कार्यवाही होनी चाहिए। पर क्या एस.ई.सी.आई. की भी जांच होगी, यहां भी सेबी जैसी ही स्थिति है।

राज्यों की बात करे तो महाराष्ट्र एवं राजस्थान में भी हालिया महीनों बहुत ऊंचे दामों पर सोलर पावर खरीदने के अनुबंध हुए हैं, उनका क्या? उन पर भी चर्चा होनी चाहिए।

जयपुर में शाही शादियों की धूम

जयपुर, 21 नवम्बर। झारखंड और महाराष्ट्र के विधानसभा चुनाव और उत्तर प्रदेश सहित अन्य राज्यों के उपचुनाव में वोटिंग के बाद, लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी एक शादी समारोह में हिस्सा लेने के लिए जयपुर आए हैं। जयपुर के सांगानेर एयरपोर्ट पर कांग्रेस के नेताओं ने उनका स्वागत किया। राहुल गांधी के आने के कुछ देर बाद, एक अन्य शादी में हिस्सा लेने के लिए समाजवादी पार्टी के प्रमुख तथा उत्तर

- राहुल, प्रियंका गाँधी पहुंचे, अखिलेश डिंपल भी जयपुर आए।

प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव और उनकी पत्नी डिम्पल यादव भी जयपुर पहुंचे।

राहुल गांधी जयपुर एयरपोर्ट से सीधा होटल ओबेरॉय राजविलास के लिए रवाना हो गए। बताया जा रहा है कि राहुल शाम को होटल रामबाग पैलेस में राहुल गांधी के भांजे और प्रियंका गांधी के बेटे रेहान के मित्र यशार्थ गोयल के शादी समारोह में शिरकत करेंगे। इस

(शेष पृष्ठ 3 पर)

इज़रायल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू के खिलाफ गिरफ्तारी वॉरंट जारी

इंटरनैशनल क्रिमिनल कोर्ट ने इज़रायल के प्रधानमंत्री के साथ पूर्व रक्षामंत्री योआव गैलैंत को भी युद्ध अपराधी घोषित किया है

-सुकुमार साह-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-

नई दिल्ली, 21 नवम्बर। इंटरनैशनल क्रिमिनल कोर्ट (आई.सी.सी.) ने इज़रायल के प्रधानमंत्री नेतनयाहू तथा पूर्व रक्षा मंत्री योआव गैलैंत के विरूद्ध, इज़रायल हमास युद्ध के दौरान कथित युद्ध अपराधों और मानवता के विरूद्ध अपराधों का हवाला देते हुए गिरफ्तारी वॉरंट जारी किया है। इनमें गाज़ा पर किए गए बेतरतीब हमले भी शामिल हैं, जिनके कारण कथित रूप से नागरिकों को भारी क्षति हुई।

कोर्ट ने माना कि नेतनयाहू तथा गैलैंत का कथित आचरण अदालत के अधिकार क्षेत्र में आता है। कोर्ट को, यह मानने के लिए भी उचित आधार मिला कि अनेक युद्ध अपराधों के लिए सह-अपराधी के रूप में नेतनयाहू और गैलैंत की जिम्मेवारी बनती है। दोनों नेताओं पर, गाज़ा के नागरिकों को जानबूझकर भोजन, पानी, बिजली, ईंधन और चिकित्सा आपूर्ति से वंचित रखने का आरोप है। इसके अलावा राजनैतिक और राष्ट्रीय आधार पर गाज़ा के लोगों को उनके मूल अधिकारों से वंचित करना तथा उनका उत्पीड़न तथा अन्य अमानवीय कृत्य भी युद्ध अपराधों में शामिल हैं।

अदालत ने पाया कि नेतनयाहू तथा गैलैंत का कथित आचरण फिलिस्तीन में नागरिक आबादी, विशेष रूप से गाज़ा के नागरिकों के खिलाफ इज़रायली सरकारी निकायों और सशस्त्र बलों की गतिविधियों से संबंधित था। कोर्ट ने यह भी पाया कि मानवता के विरूद्ध कथित अपराध, गाज़ा की नागरिक आबादी के विरूद्ध व्यापक तथा सुनियोजित व व्यवस्थित हमले का हिस्सा थे। कोर्ट को यह मानने के लिए भी उचित आधार मिला कि दोनों नेताओं के उपरोक्त आचरण ने गाज़ा में नागरिक आबादी के बड़े भाग को उनके मूल अधिकारों, जिसमें जीवन व स्वास्थ्य का अधिकार शामिल है, से वंचित रखा और यह भी कि आबादी को राजनीतिक तथा राष्ट्रीय आधार पर लक्ष्य बनाया गया। इसलिए कोर्ट ने पाया कि मानवता के खिलाफ उत्पीड़न का अपराध किया गया है।

- कोर्ट ने कहा कि इज़रायल हमास संघर्ष में गाज़ा में बेतरतीब और मनमाने तरीके से हुए हमलों में भारी जनहानि हुई है, ये हमले मानवता के विरुद्ध अपराध हैं।
- इन्टरनैशनल क्रिमिनल कोर्ट (आई.सी.सी.) के वॉरंट पर उन देशों को अमल करना होगा जो इसके सदस्य हैं। पर जो देश इसके सदस्य नहीं हैं उन पर कोई दबाव नहीं है।
- यह मामला उन देशों के बड़े नेताओं पर आई.सी.सी. की ताकत की कसौटी भी होगा जो इसके सदस्य नहीं हैं।
- आई.सी.सी. के वॉरंट का इज़रायल ने कड़ा विरोध किया तथा इसे पक्षपातपूर्ण बताया, अमेरिका और ब्रिटेन ने भी आई.सी.सी. के आदेश को हानिकारक बताया।

आई.सी.सी. का अधिकार क्षेत्र कोर्ट को मान्यता देने वाले फिलिस्तीन जैसे क्षेत्रों में किए गए अपराधों को कवर करता है। हालांकि कोर्ट के गिरफ्तारी वॉरंट आदेशों का क्रियान्वयन अनिश्चित है; इज़रायल आई.सी.सी. को मान्यता नहीं देता है और संभावना नहीं है कि वो सहयोग करेगा। नेतनयाहू की गिरफ्तारी के लिए ज़रूरी होगा कि वो किसी ऐसे देश में प्रवेश करें जो वॉरंट पर अमल करने को राजी हो।

कोर्ट के आदेश का मतलब होगा, इज़रायल की सैन्य कार्रवाइयों और संभावित कूटनीतिक चुनौतियों की गहन जांच। यह मामला, गैर आई.सी.सी. सदस्य देशों में उच्च पदस्थ नेताओं के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय कानून की पहुँच की परख भी करता है।

इस दौरान इज़रायल ने नेतनयाहू व अन्य नेताओं के खिलाफ आई.सी.सी. के वॉरंट जारी करने के निर्णय की पुरजोर निंदा की है। इज़रायली अधिकारियों ने इन आरोपों को पक्षपातपूर्ण और राजनीति से प्रेरित बताते हुए खारिज कर दिया है और इस बात पर जोर दिया है कि इज़रायल एक लोकतांत्रिक देश है, जिसके पास एक मजबूत न्यायपालिका है, जो कि, इस तरह के मामलों को स्वतंत्र रूप से संभालने में सक्षम है। उनका तर्क है कि आई.सी.सी. के अधिकार क्षेत्र में इज़रायल नहीं आता है, क्योंकि वह रोम स्टैचूट (कानून) में पार्टी नहीं है। इस कदम की इज़रायल के सहयोगियों, जैसे, संयुक्त राज्य अमेरिका और यू.के. ने आलोचना की है, जो इसे लाभप्रद के बजाय हानिकारक मानते हैं।

'शिक्षक की वार्षिक वेतन वृद्धि नहीं रोकें'

जयपुर, 21 नवंबर। राजस्थान हाईकोर्ट ने गणित विषय के द्वितीय श्रेणी शिक्षक की ओर से अध्यापन के दौरान लापरवाही बरतने पर, उसकी संचयी आधार पर वार्षिक वेतन वृद्धि रोकने के आदेश पर रोक लगा दी है। इसके साथ ही, अदालत ने मामले में प्रमुख माध्यमिक शिक्षा सचिव, निदेशक माध्यमिक शिक्षा और डी.ई.ओ., जयपुर डिवीजन सहित अन्य को नोटिस जारी

- हाईकोर्ट शिक्षा सचिव, माध्यमिक शिक्षा निदेशक व डी.ई.ओ. से जवाब तलब किया।

कर जवाब तलब किया है। जस्टिस सुदेश बंसल ने ये आदेश पुष्कर सैनी की ओर से दायर याचिका पर प्रारंभिक सुनवाई करते हुए दिए। याचिका में अधिवक्ता धर्मेन्द्र शर्मा ने अदालत को बताया कि याचिकाकर्ता वर्तमान में राजकीय दरबार उच्च माध्यमिक अंग्रेजी विद्यालय,

(शेष पृष्ठ 3 पर)